सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: **NCST/SER-810/RJ/27/2023-SSW**

दिनांक:20.03.2023

श्री डी.एन.पाण्डेय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान सरकार
वन भवन
वानिकी पथ
जयपुर -302005 (राजस्थान)
ई मेल: pccf.raj.forest@rajasthan.gov.in

विषय: **अनुसूचित जनजाति के सहायक वन पाल कार्मिकों को पदोन्नति से वंचित करने के संबंध में - श्री संदीप सिंह मीणा व राजेन्द्र कुमार मीणा, सहायक वन पाल, झालावाड (राजस्थान) का दिनांक शून्य का अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री संदीप सिंह मीणा व राजेन्द्र कुमार मीणा** से दिनांक Nil में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 **दिनों के भीतर** आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. श्री संदीप सिंह मीणा,
   ग्राम व पोस्ट-मालनवासा,
   तहसील-खानपुर,
   जिला-झालावाड (राजस्थान)

2. श्री राजेन्द्र कुमार मीणा,
   राजलक्ष्मी नगर, बस स्टेंड के पास,
   जिला-झालावाड (राजस्थान)

NIC, NCST (please upload on the website of the Commission)